अभिनव लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L65100DL1984PLC018748

पंजीकृत कार्यालयः एस–524, प्रथम तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092

सूचना

अभिनव लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 01 (प्रथम) असाधारण सामान्य बैठक (''ईजीएम'') का आयोजन सोमवार 28 फरवरी 2022 को प्रातः 09.30 बजे एस–524, प्रथम तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092 में किया जाएगा, जिसमें उक्त बैठक के आयोजन की उस सूचना में वर्णित व्यवसाय का लेन–देन किया जाना है, जिस सूचना को उन सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनके नाम शनिवार 5 फरवरी 2022 को पंजिकाओं में प्रविष्ट हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुसार सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी की अंशांतरण बहियां मंगलवार 22 फरवरी 2022 से लेकर के सोमवार 28 फरवरी 2022 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 और सामान्य बैठक पर साचिविक मानक के मानक 2 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार समस्त संकल्पों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्धानुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''दूरस्थ ई–मतदान'') से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करके संतुष्ट है।

- दूरस्थ ई–मतदान के प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार 25 फरवरी 2022 (प्रातः 9.00 बजे)
- दूरस्थ ई–मतदान के समापन की तिथि एवं समयः रविवार 27 फरवरी 2022 (सायं 5.00 बजे)
- मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथिः मंगलवार 18 फरवरी 2022
- बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा बैठक में उपस्थित रहने वाले सदस्यों के लिए ईजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- सदस्यगण जो दूरस्थ ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं, वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे बैठक में अपने मताधिकार का पुनः प्रयोग करने में असमर्थ होंगे।
- ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट–www.abhinavleasefinltd.in पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट–www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- यदि आपको ई–मतदान के संबंध में कोई पूछताछ करनी है अथवा किसी समस्या का हल पूछना है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (''एफएक्यू'') तथा ई–वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ईमेल लिख सकते हैं।

कृते अभिनव लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./–
ममता अग्रवाल
प्रबंध निदेशक

दिनांकः 05.02.2022
स्थान : दिल्ली

एलोरा ट्रेडर्स लिमिटेड

CIN: L27101UP1985PLC007436

पंजीकृत कार्यालय– 16/95, द मॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश– 208 001

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (अनंतिम) पर विचार और अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक सोमवार, 14 फरवरी, 2022 को आयोजित की जाएगी।

कृते एलोरा ट्रेडर्स लिमिटेड
सुषमा शॉ
कंपनी सचिव

स्थानः कानपुर
दिनांकः 04.02.2022

अमर वाणिज्य लिमिटेड

CIN: L74900DL1985PLC020118

पंजीकृत कार्यालय– 105, साउथेक्स प्लाजा– II, लीला राम मार्केट साउथ एक्सटेंशन– II, नई दिल्ली –110 049

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (अनंतिम) पर विचार और अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक सोमवार, 14 फरवरी, 2022 को आयोजित की जाएगी।

कृते अमर वाणिज्य लिमिटेड
पूनम कुमारी शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.02.2022

दक्षिण रेलवे

ई–निविदा सूचना

सं. बी/टीआरडी–ओटी/08/2021–22

तिथिः 3.2.2022

कार्य का नामः टीबीसी मंडल में ई आरएनएफ में एफएसीटी सायडिंग के विद्युतीकरण के सिलसिले में ओएचई का सुधार

निविदा मूल्यः रु. 96,25,734.91

पूर्णता अवधिः 180 दिन

निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः 2.3.2022 के 14.00 बजे।

सम्पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध होगी।

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता
(टीआरडी)/थिरुवनन्तपुरम

Follow us on : twitter.com/@GMSRailway

"फॉर्म यूआरसी–2"

अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सैक्टर–5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिन कोड–122052 के पास एक आवेदन करना है कि रॉयलक्स लाइटिंग एलएलपी, एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया जाए।
2. प्रस्तावित कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से है:–
   I. एलईडी लाइटिंग का विनिर्माण, व्यापार, आयात, निर्यात और इसके पुर्जे और अन्य इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और कंपनी के अनुच्छेद एवं एसोसिएशन की प्रति का निरीक्षण जे–12/76, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 में स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, हमारे पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सैक्टर–5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिन कोड–122052 को भेज सकता है।

आवेदक का नामः
1. इरदीप सिंह
2. संजीत सिंह

दिनांक : 06.02.2022

SUPPORT FOUNDATION
(PAN : ABBTS7708R)
A-14, LAJPAT NAGAR –IV, RING ROAD, NEW DELHI - 110024

NOTICE

SUPPORT FOUNDATION, charitable trust (PAN : ABBTS7708R) registered vide Trust Deed dated 26.03.2021 bearing regn no. 350, book no. 4, volume no. 4471, on page 112 to 128 dated 01.04.2021 with the Office of Sub – Registrar, Sub – Registrar III, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002 & CIT (EXEMPTION), DELHI Registration u/s 12A : ABBTS7708RE20211 dt 01.10.2021 & Exemption u/s 80-G : ABBTS7708RF20219 dt 24.09.2021, have SHIFTED its Registered Office From "R-489, GF-B, NEW RAJINDER NAGAR, NEW DELHI - 110060' TO to "A-14, LAJPAT NAGAR –IV, RING ROAD, NEW DELHI - 110024" w.e.f. 02.02.2022.

Place: New Delhi — Sumit Gupta
Dated: 05.02.2022 — Trustee 9911108800

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र

सरकार बनने पर खनन गतिविधियां शुरू करने का दिया आश्वासन

पणजी, 6 फरवरी (भाषा)।

कांग्रेस ने आगामी गोवा विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो तटीय राज्य में खनन गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। वह 14 फरवरी को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिदुओं पर बात कर रहे थे।

गोवा में राजस्व का मुख्य स्रोत मानी जाने वालीं खनन गतिविधियों पर उच्चतम न्यायालय ने 2018 में रोक लगा दी थी। गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक चिदंबरम ने कहा कि राज्य के लिए समस्या संसाधन खोजने की नहीं है, बल्कि संसाधनों के आबंटन की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट के लिए तीन रास्ते हैं – सरकार के अपने संसाधन, केंद्र सरकार के राजस्व का हिस्सा और केंद्र सरकार का अनुदान।

चिदंबरम ने कहा कि धन का स्रोत कभी समस्या नहीं रहा है, लेकिन समस्या धन के आबंटन को लेकर है। उन्होंने कहा कि अगर बुद्धिमानी और विचारशील सोच से धन का आबंटन किया जाता है, तो घोषणापत्र में जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, उन्हें पांच साल में हासिल किया जा सकता है। राज्य के संसाधनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर गोवा आइटी और फार्मास्युटिकल केंद्र बन जाता है, तो संसाधन कई गुना बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा, 'यदि कोई समस्याओं पर ध्यान देने में विफल रहता है, तो राजस्व को नुकसान होता है।' उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में खनन फिर से शुरू किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा, 'हम उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत संपोषणीय कानूनी खनन शुरू कर सकते हैं। लेकिन, हमें समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है।' एक सवाल के जवाब में चिदंबरम ने कहा कि 'दलबदल की बीमारी' गोवा में बंद होनी चाहिर और यह तभी संभव है, जब लोग उपचुनावों के दौरान दल–बदलुओं को हराएं। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिये 14 फरवरी को मतदान होगा।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Tarsem Singh Bhatti S/o Gurdev Singh R/o Plot No. C-57, Navyug Block, Vishnu Garden, New Delhi - 110018 have changed my name to Tarsem Singh. 0040601695-1

I,Puspa D/o-Nepal Singh,R/o-18,Village- Vaina Baina Bena-Khair,Aligarh Uttar-Pradesh-202165,have change my name Puspa to Pushpa Talan,for all Purposes. 0040601706-8

I Manjeet Kaur Bhatti W/o Tarsem Singh R/o Plot No. C-57, Navyug Block, Vishnu Garden, New Delhi-110018 have changed my name to Manjeet Kaur. 0040601668-1

I Monica Kumari W/O, Saurabh Rathor R/o 46, Vyas Kunj, Sec 11 Dwarka, New Delhi, 110075 have changed my name to Monica Singh Rathor for all purposes. 0040601657-1

I,Satyabhama Behera,W/O Amulya Nidhi Behera R/O,HNO.3169,Street.No-8 Ground-Floor,Ranjeet-Nagar,New Delhi.State that my Name wrongly-mentioned Satya Bhama Behera in my son (Shubham Kumar Behera)school-record. Correct-name is Satyabhama Behera. 0040601706-10

I,SAGAR KATARIA S/O-DINESH KATARIA,HOUSE.NO.477, BAZIDPUR SABOLI, BAZIDPUR SABOLI(57), SONIPAT,HARYANA-131029,have changed my name to SAGAR. 0040601706-11

I,Gopal Dutt,R/o C-172,Pandav Nagar,Delhi-110092,have changed my minor son's name from RAIN MAULEKHI to RACHIT MAULEKHI,for all purposes. 0040601706-9

I, Gopal Dutt,R/o C-172, Pandav Nagar,Delhi-110092,have changed my minor son's name from RAIN MAULEKHI to RACHIT MAULEKHI, for all purposes. 0040601678-5

I Yogender Singh Pundir S/O, Sri Man Singh Pundir R/o 108, West Rajputana, Roorkee have changed my name to Yogendra Singh Pundir for all purposes. 0040601659-1

खोया+पाया

ORIGINAL Page No. 6 of Attached Schedule-2, Attached Schedule-3 & Endorsement/ Last page of sale deed dated 27.03.2018 serial No. 4576 related to property plot No. GGP-A-A01/07, measuring 360.00 Sq. Mt. situated at "Emaar MGF, Gomti Greens", Sector-A, Emaar MGF, Integrated Township, Lucknow favouring Bijaya Kumar Maurya & Rashmi Maurya executed by Emaar MGF Land Ltd, has been lost.- Bijaya Kumar Maurya House No. 5/37, Police Enclave, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow

NOTICE

Notice for loss of equity share certificate
M/s IG Petrochemicals Limited
T-10, 3rd Floor, Jairam Complex, Mala, Neugi Nagar, Panaji, Goa-403001

Notice is hereby given that the Certificate for the under mentioned Equity Shares of the Company have lost/ misplaced and the holder of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate.
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company at its Registered office within 21 days from this date, else the Co. will proceed to issue duplicate certificate to the aforesaid applicants without any further intimation.

SR No.	Name of Share Holders	Folio No.	No. of Shares	Distinctive Nos.
1.	Rahul Singh	0163046	100	22277051 to 22277150

Certificate No.135702
Place : New Delhi Date : 05-02-2022

PUBLIC NOTICE

This is to notify that my client Smt. Queeni Sehgal W/o Late G.S. Sehgal R/o 223, Sector 55, Chandigarh hereby disown and disinherit her son Sh. Ekamdeep Singh Sehgal from her movable and immovable properties for his misconduct. Anyone transacting any business with him, will do it at his own risk.
Vinay Sharma, Advocate
Ch. No. P-12, Post Office Lane, Tis Hazari Courts, Delhi-110054
Ph: 8010388090

PUBLIC NOTICE

Be it know to all concerned that my client, Rama Devi wife of Late Shri Ram Khilari, resident of House No. E-II/110, Madangir, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062, She have severed their relation / connections and disowned her three sons namely (1) Mohan Singh and wife Radha, (2) Surender Kumar his wife Bharti and and his two children namely (i) Prince (ii) Isu and (3) Sanjay Singh (Sanju) his wife Radha, has disowned and has debarred her from all of their moveable and immoveable properties, properties In future anybody dealing them shall do so at his/her own risk. My client and their family will not be responsible for any act done by them with anyone in future.
Rajkumar (Advocate)
Chamber No.466

'स्पूतनिक लाइट' टीके को मिली मंजूरी : मांडविया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने एक खुराक वाले कोरोनारोधी 'स्पूतनिक लाइट' टीके के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। भारत में अब तक कोरोनारोधी नौ टीकों को मंजूरी मिल चुकी है।

'स्पूतनिक लाइट को एहतियाती खुराक के रूप में पंजीकृत करने के लिए सौंपा प्रस्ताव'

नई दिल्ली, 6 फरवरी (भाषा)।

दवा निर्माता डा रेड्डीज लेबोरेटरीज ने ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया (डीसीजीआइ) को कोविड–19 के विरुद्ध 'स्पूतनिक लाइट' को बूस्टर डोज के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

हैदराबाद की इस दवा कंपनी ने 'स्पूतनिक वी' का क्लीनिकल परीक्षण करने एवं भारत में इसके वितरण के लिए रसियन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट फंड (आरडीआइएफ) के साथ सितंबर, 2020 में करार किया था।

पिछले साल इस कंपनी को अप्रैल में डीसीजीआइ से आपात स्थिति में सीमित उपयोग के वास्ते स्पूतनिक टीके के आयात की अनुमति मिली थी।

डा लेबोरेटरीज के मुख्य कार्यकारी एरेज इजराइली ने कहा कि स्पूतनिक के संबंध में अब हम भारत में क्षमताओं के साथ तैयार हैं। हम कोविड–19 के विरुद्ध 'स्पूतनिक लाइट' को बूस्टर डोज के रूप में पंजीकृत करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर गहनता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवा कंपनी ने अन्य टीकों के बूस्टर के तौर पर स्पूतनिक लाइट का परीक्षण करने के लिए भी डीसीजीआइ को एक प्रस्ताव सौंपा है।

नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 'चादर' पेश की

जयपुर, 6 फरवरी (भाषा)।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को अजमेर के दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें वार्षिक उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 'चादर' पेश की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूफियों की सोंच, संतों के संस्कार और समाज के समावेशी सशक्तीकरण का संकल्प ही हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का मजबूत मंत्र है। नकवी ने अजमेर दरगाह शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें वार्षिक उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'चादर' पेश की और बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के सभी तबकों के लोगों को उनके सन्देश को पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई 'चादर' का वहां मौजूद लोगों ने पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश की।

झुमरीतलैया और लता में था अटूट रिश्ता

झुमरीतलैया (झारखंड), 6 फरवरी (भाषा)।

झुमरीतलैया संगीत प्रेमियों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। झारखंड में प्रकृति की गोद में बसे इस कस्बे ने नयनाभिराम झीलों के दृश्य से प्रकृति प्रेमियों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। इस छोटे से कस्बाई शहर को 1950 के दशक की शुरुआत में रेडियो सीलोन और आकाशवाणी ने भी खासी प्रसिद्धि दिलाई।

आकाशवाणी के विविध भारती पर उस समय फरमाइशी गानों के कार्यक्रम में झुमरीतलैया से सबसे अधिक महान गायिका लता मंगेशकर द्वारा गाए गानों को बजाने की मांग की जाती थी। पीढ़ियों से संगीत को परिभाषित करने वाली 'भारत कोकिला' के निधन की खबर जैसे ही इस छोटे से शहर में पहुंची, देवी सरस्वती की पूजा के लिए बने पंडालों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में लाउडस्पीकरों से 'लता दीदी' के गाने बजाए जाने लगे। लोग सड़कों पर गमगीन नजर आ रहे थे।

भारत के अधिकतर हिस्सों में भले ही आज रेडियो की जगह टेलीविजन ने ले ली हो, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 165 किलोमीटर दूर झुमरीतलैया में आज भी सड़क किनारे ढाबों, छोटी दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में रेडियो सेट पर गाने सुनने के शौकीन मिल जाएंगे।

रेडियो सीलोन पर अमीन सयानी और विविध भारती पर अन्य उद्घोषकों को अक्सर यह घोषणा करते सुना जाता था–'अगली फरमाइश है झुमरीतलैया से।' जब रेडियो लोकप्रिय हो गए, तो इस कस्बे में पोस्टकार्ड पर गाने के लिए अनुरोध भेजना लोगों का एक प्रमुख शौक बन गया।

झुमरीतलैया के एक खदान मालिक, रामेश्वर प्रसाद बरनवाल ने रेडियो सीलोन पर अमीन सयानी के 'बिनाका गीतमाला' कार्यक्रम के लिए 'फरमाइशों' के साथ पोस्टकार्ड भेजना शुरू किया, जिससे शहर के अन्य लोग भी पोस्टकार्ड भेजने को लेकर प्रेरित हुए। जल्द ही झुमरीतलैया में रेडियो प्रेमियों ने एक छोटा रेडियो श्रोताओं का क्लब बना लिया।

क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योगपति राहुल मोदी के दादा रामेश्वर मोदी उस समय अभ्रक के प्रमुख कारोबारी थे। राहुल ने बताया कि मेरे दादा और अन्य लोग एक–दूसरे के साथ शर्त लगाते थे, किसके नाम की घोषणा संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम में की जाएगी। राहुल मोदी ने कहा कि ज्यादातर फरमाइशें लता मंगेशकर के गानों की होती थी।

अवांसे फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजीकृत तथा कॉर्पोरेट कार्यालय पताः फुल्क्रम बिजनेस सेन्टर, 001 एवं 002, ए विंग, हयात–रेजेन्सी होटल के निकट, साहट रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400009, महाराष्ट्र

AVANSE FINANCIAL SERVICES

परिशिष्ट –IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''उक्त अधिनियम'') के अंतर्गत **अवांसे फाइनांसियल सर्विसेस लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 26 नव., 2021 ऋण खाता संख्या क्रमशः DELCE00148753 ("ऋण खाता") में जारी कर ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों i) रतन सिंह एजुकेशनल सोसाइटी; ii) श्री अमर सिंह, पुत्र उदमी राम; iii) श्री विनोद कुमार, पुत्र श्रीराम किशन, iv) श्री परवीण मोर, v) राम किशन; vi) विक्रम सिंह (सामूहिक रूप से ''ऋणधारकों'' वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में वर्णित 26 नव., 2021 को बकाया राशि 26 नव., 2021 तक ब्याज शामिल तथा भुगतान एवं/अथवा उगाही की तिथि तक अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ उस पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
विवरण नीचे दी गई तालिका में भी वर्णित है:)

ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/मार्टगैजरों का विवरण	ऋण खाता संख्या	3 दिस. 2021 को बकाया राशि
1.रतन सिंह एजुकेशनल सोसाइटी 2.श्री अमर सिंह, पुत्र श्री उदमी राम 3.श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री राम किशन 4.श्री परवीण मोर 5.राम किशन 6.विक्रम सिंह	DELCE00148753	रु. 24,29,459/– (रु. चौबीस लाख उन्नतीस हजार चार सौ उनसठ मात्र)

उक्त ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सह–ऋणधारक/गारंटर्स/माटगैजर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 3 फरवरी, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति (''अचल सम्पत्ति'') का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 24,29,459/– (रु. चौबीस लाख उन्नतीस हजार चार सौ उनसठ मात्र) 26 नव., 2021 को बकाया जिसमें 26 नव. 2021 तक ब्याज शामिल है तथा उक्त ऋण खाता में अंतिम भुगतान एवं/अथवा उगाही की तिथि तक उस पर आगे के ब्याज की कुल राशि के लिये अवांसे फाइनांसियल सर्विसेस लि. के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक/सह–ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पूर्ण निर्मित दूसरा तल, सीलिंग लेवल तक, एरिया माप 204.84 वर्ग मी. (लगभग), सम्पूर्ण सम्पत्ति शैक्षिक संस्थान, रतन सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत, यूनिक इन्टरनेशनल स्कूल भवन, भूमि माप (16 कनाल, 1 मरला),खतोनी नं. 64 मिन में , ग्राम–बास खुर्द बीजन, तह. हांसी, हिसार, पिन–125042

हस्ता/–
तिथिः 03.02.2022 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः हिसार — अवांसे फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये

मांग सूचना

ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

सीआईएनः U67100MH2007PLC174759

रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालयः ईडेलवीज हाउस ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई 400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत।

अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (''ईएआरसी'') का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) को उनके लिए निर्गत जो नीचे भी दिया गया है, सम्बद्ध माँग सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा एक बार पुनः कर्जदारों को कथित माँग सूचना में नीचे लिखित तिथियों से भुगतान की तिथि तथा/अथवा कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के साथ पठित कर्ज के अनुबन्ध के तहत वसूलीकृत, देय तिथि तक भावी ब्याज सहित यहाँ नीचे उल्लिखित राशि को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ईएआरसी को अदा करने के लिए कहा जाता है। कर्ज के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा ईएआरसी के पास निम्नलिखित आस्ति गिरवी रखी गयी है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) का नाम/ऋण खाता संख्या	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	ट्रस्ट तथा एसाइनर का विवरण
1	स्व. श्री परवीण कुमार बंसल, द्वारा उसके एलआर्स श्रीमती शकुन्तला देवी (ऋणधारक) एवं श्रीमती शकुन्तला देवी (सह–ऋणधारक) श्री सतपाल गोयल (गारंटर) ऋण खाता सं. 1252766[178–00002044]	19 जन. 2022 तथा रु. 1974337.90/– (रु. उन्नीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सैंतीस एवं पैसे नब्बे मात्र)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–371 एवं डीएचएफएल

सम्पत्ति का विवरणः
सम्पत्ति सं. 1: पटियाला में पंजीकृत बिक्री प्रलेख सं. 2398, बिक्री प्रलेख तिथि 20.11.2012 के माध्यम से सांगा कॉलोनी पत्रण, जाखल बाईपास रोड के निकट जिला पटियाला, पंजाब–147105 में स्थित गिरवी सम्पत्ति/सम्पत्ति प्लॉट माप 23'.6'' 42'' = 109.66 वर्ग यार्ड्स (3–2/3 मरला) अर्थात् 3–2/3/1099 शेयर 54 के–19 एम का, खेवत खतौनी नं. 343/731, खसरा नं. 63//1/2 (7–11), 4/1 (2–12), 7/1 (7–7), 8/1 (7–7), 9/1 (7–7), 10/1 (5–11), 1/1 (0–9), 2 (8–0), 3/1 (2–9), 3/2 (4–0), 60//22/1 (2–6) का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार है: पूर्वः गली, पश्चिमः स्वयं स्वामी, उत्तरः स्वयं स्वामी, दक्षिणः पवन आदि।
सम्पत्ति सं. 2: पटियाला में पंजीकृत बिक्री प्रलेख सं. 0, बिक्री प्रलेख तिथि 20.11.2012 एवं 09.12.2013 के माध्यम से सांगा कॉलोनी पत्रण, जाखल बाईपास रोड के निकट जिला पटियाला, पंजाब–147105 में स्थित गिरवी सम्पत्ति/सम्पत्ति प्लॉट खेवत खतौनी नं. 373/979, खसरा नं. 63//11 मिन (0–6.1/2), 12 मिन (2–3.टी/2), 13 (एस–ओ), 14 (4–18), 18 (9–18), 19 मिन (8–0), 22 (8–0), 23 (6–18) कुल टेडाडी 48 कनाल 4 मरले एवं 3/2/3/964 बकदर 0 कनाल 3/2/3 मरले 112.11 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः गली, पश्चिमः स्वयं स्वामी, उत्तरः स्वयं स्वामी, दक्षिणः पवन आदि।

2	श्रीमती सुषमा गोयल (मार्टगैजर/सह–ऋणधारक/गारंटर्स) एवं मै. वरुण कास्टिंग प्रा.लि., द्वारा इसके निदेशक श्री विनोद कुमार गोयल (ऋणधारक), श्री वरुण कुमार गोयल, श्री विनोद कुमार गोयल एवं श्रीमती मेघा गोयल, मै. प्रिया कॉनकास्ट, मै. वरुण एलॉयज ऋण खाता सं.: 650014055545	27 जन. 2022 एवं रु. 18,24,41,555.25/– (रु. अठारह करोड़ चौबीस लाख इकतालिस हजार पांच सौ पचपन एवं पैसे पच्चीस मात्र)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–353 आईबीएल

सम्पत्ति का विवरणः ग्राम कक्कड़ माजरा, तहसील अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब, 140407 में स्थित खाता नं. 1021/1521, खसरा नं. के साथ बाउण्ड्री 2243/1990/247(5.6) अर्थात् कुल भूमि के विवरण का 50/2120 शेयर, हदबस्त नं. 64 सिटी में शामिल गिरवी सम्पत्ति आवासीय मकान माप 2 बिसवा. 10 बिसवा का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः जसबीर का मकान, 36.6 फीट, दक्षिणः गली 36.6 फीट, पूर्वः एच. नं. 252, 31–6 फीट, पश्चिमः बलविन्दर सिंह का मकान, 31–6 फीट।

यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार ईएआरसी को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो ईएआरसी लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित कर्जदार(र